प्र.सं.:– 03/2022
दायर दिनांक:– 03.03.2022
निर्णय दिनांक :– 28.12.2022

# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

| | |
|---|---|
| पीठासीन अधिकारी का नाम :– | मिथलेश मीना (आर.ए.एस) |
| प्रकरण संख्या :– | 03/2022 |
| प्रकरण दायर दिनांक :– | 08.12.2022 |

रामकिशन पुत्र गंगासहाय जाति पूर्विया निवासी पूर्वियावास ग्राम लवाण तहसील लवाण जिला दौसा।

(प्रार्थी)

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार

:: निर्णय :: दिनांक : 28.12.2022

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि :–

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, लवाण
सत्यमेव जयते

1. यह है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 265, 342, 364, 365, 366, 368, 3699/340, 3701/367, 3703/36[illegible]/3, 3707/374, 375, 376, 377 वाके ग्राम पूर्वियावास लवाण तहसील लवाण जिला दौसा में भूमि स्थित है। तथा अप्रार्थी नम्बर–1 राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार व अप्रार्थी संख्या–2 तहसीलदार को सीमाज्ञान के प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:23:49 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

2. यह कि प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर 265, 342, 364, 365, 366, 368, 3699/340, 3701/367, 3703/369, 3705/3, 3707/374, 375, 376, 377 वाके ग्राम पूर्वियावास लवाण तहसील लवाण जिला दौसा पटवार हल्का लवाण भू.अभि.नि. लवाण जिला दौसा के अन्दर स्थित है। इसके अन्तर्गत प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित आराजी खातेदारान काश्तकार काबिज काश्तकार दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थीगण काश्तकार काबिज होकर लाभान्वित होता चला हा रहा है।

3. यह कि उक्त भूमि में किसी अन्य का कोई लेना देना नही है। यह कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 265, 342, 364, 365, 366, 368, 3699/340, 3701/367, 3703/369, 3705/3, 3707/374, 375, 376, 377 वाके ग्राम पूर्वियावास लवाण तहसील लवाण जिला दौसा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि है। आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी सीमा कायम करवा ली जावे। यह कि तहसीलदार द्वारा गठित टीम द्वारा उक्त सीमाज्ञान दिनांक 05.08.2021 को कर दिये जाने एवं मौके पर सीमाचिन्ह कायम कर देने के बावजूद भी आस–पास के खातेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है एवं उनका मात्र उद्देश्य प्रार्थी से अनावश्यक सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को दबाना है। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाकर सीमाए कायम कर पत्थरगढी कर पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है।

4. यह कि यदि अविलम्ब ही प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी नही करवाई गई तो मौके पर शान्ति भंग होकर झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी ऐसी दशा में उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किया [illegible] है।

5. यह कि न्यायहित [illegible] की उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि का [illegible] कायम करने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है, ताकि मौके पर [illegible] व्यवस्था बनी रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:23:49 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते

उप जिला कलक्टर
लवाण

6. यह कि प्रार्थीगण उक्त आराजी के सीमाज्ञान व पत्थरगढी में होने वाले खर्च को भी वहन करने को तैयार है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार प क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या—1 को आदेश फरमावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 265, 342, 364, 365, 366, 368, 3699 / 340, 3701 / 367, 3703 / 369, 3705 / 3, 3707 / 374, 375, 376, 377 वाके ग्राम पूर्वियावास लवाण तहसील लवाण जिला दौसा में मौके पर मय टीम गठित कर व पुलिस जाप्ता भिजवाया जाकर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाएं कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणो की तलवी की गई। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्रांकः भू.अ. / 22 / 526 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें सह खातेदार मानसिंह पुत्र गंगासहाय पूर्विया को सुना जाना उचित होगा। मानसिंह पुत्र गंगासहाय जाति पूर्विया निवासी पूर्वियावास लवाण तहसील लवाण बावजूद तामील अनुपस्थित रहा।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की मौखिक बहस सुनी गई। तहसीलदार लवाण से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 29.06.2022 व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन करने के उपरान्त ग्राम पूर्वियावास तहसील लवाण में आराजी खसरा नम्बरान 265, 342, 364, 365, 366, 368, 375, 376, 377 3699 / 340, 3701 / 367, 3703 / 369, 3705 / 3, 3707 / 374, कुल किता 14 कुल रकबा 4.8100 है0 भूमि राम[illegible] पुत्र गंगासहाय जाति पूर्विया हिस्सा [illegible] रिपोर्ट पटवारी हल्का 1 / 1 नाम दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान [illegible] किया गया, जहॉ मौके पर पटवारी पूर्वियावास के अनुसार दिनांक 02.08.2021 को किया गया, जहॉ मौके पर पटवारी हल्का पूर्वियावास खातेदार उपस्थित रहा। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:23:49 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, लवाण

सत्यमेव जयते

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:— 03 / 2022
दायर दिनांक:— 03.03.2022
निर्णय दिनांक :— 28.12.2022

की बाधा व अडचन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम पूर्वियावास तहसील लवाण के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (रबी सम्वत 2077) खाता संख्या 639 के अनुसार रामकिशन पुत्र गंगासहाय जाति पूर्विया हिस्सा 1/1 के आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 0.6700, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.4900, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.6800, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.3900, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.4500, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.3400, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.4800, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.1100, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.0200, खसरा नम्बर 3699/340 रकबा 0.5200, खसरा नम्बर 3701/367 रकबा 0.0800, खसरा नम्बर 3703/369 रकबा 0.1800, खसरा नम्बर 3705/373 रकबा 0.2700, खसरा नम्बर 3707/374 रकबा 0.1300 कुल किता 14 कुल रकबा 4.8100 है0 पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो/भू–अभिलेख निरीक्षको की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, लवाण
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:23:49 IST
Reason: SelfAttested

मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उप जिला कलक्टर
लवाण